अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 6/2015-सेवा कर

सा0का0नि0 (अ). केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 25/2012-सेवाकर, तारीख 20 जून, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा0का0नि0 467(अ), तारीख 20 जून, 2012 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

1. उक्त अधिसूचना,--

(i) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थातः-

"2. (i) किसी नैदानिक स्थापन, किसी प्राधिकृत आयुर्विज्ञान चिकित्सक या परा-चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं;

(ii) उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, किसी एंबुलेंस में रोगियों के परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं;";

(ii) प्रविष्टि 12 में मद (क), मद (ग) और मद (च) का लोप किया जाएगा ;

(iii) प्रविष्टि 14 में, मद (क) में, "कोई विमानपत्तन, पत्तन या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) प्रविष्टि 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"16. किसी कलाकार द्वारा (i) संगीत, या (ii) नृत्य, या (iii) थियेटर की किसी लोक या सांस्कृतिक कला विधा में प्रदर्शन के माध्यम से सेवाएं, यदि ऐसे प्रदर्शन के लिए प्रभारित प्रतिफल एक लाख रुपए से कम या उसके समतुल्य है :

परन्तु ऐसे कलाकार द्वारा ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवा को यह छूट लागू नहीं होगी ।"

(v) प्रविष्टि 20 में मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थातः-

"(i) खद्यान जिसके अन्तर्गत चावल और दालें, आटा, दूध और नमक भी है;";

(vi) प्रविष्टि 21 में मद (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थातः-

"(घ) खाद्यान जिसके अन्तर्गत चावल और दालें, आटा, दूध और नमक भी है;";

(vii) प्रविष्टि 26क में मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना;";

(viii) प्रविष्टि 29 की मद (ग), मद (घ) और मद (ङ) का लोप किया जाएगा ;

(ix) प्रविष्टि 30 में, मद (ग) में, "कोई माल" शब्दों के स्थान पर, "कोई माल जिसमें मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लीकर को छोड़ कर कोई माल" शब्द ऐसी तारीख से रखे जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ;

(x) प्रविष्टि 32 का लोप किया जाएगा ;

(xi) प्रविष्टि 42 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"43. किसी सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा अपशिष्ट के उपचार के माध्यम से सेवाएं;

44. फलों और सब्जियों की पूर्व कंडिशनिंग, पूर्व प्रशीतन, पकाने, वैक्सिंग, खुदरा पैंकिंग, लेबल लगाने, जो फलों और सब्जियों में उक्त फलों या सब्जियों की अनिवार्य विशेषताओं में परिवर्तन/फेरफार नहीं करती हैं ;

45. किसी संग्राहलय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ आरक्षिती या किसी प्राणी उद्यान में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं ;

46. किसी प्रदर्शक द्वारा किसी मूवी के प्रदर्शन के माध्यम से किसी वितरक या व्यक्तियों के संगम जो ऐसे प्रदर्शक के उसके एक सदस्य के रूप में मिलकर बना है, प्रदान की जाने वाली सेवाएं;"

(xii) इस प्रकार अन्तःस्थापित प्रविष्टि 46 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"47. प्रवेशाधिकार के माध्यम से निम्नलिखित को सेवाएं,--

(i) सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, सर्कस, नृत्य या थियटर प्रदर्शन जिसके अन्तर्गत नाटक या बैले हैं का प्रदर्शन;

(ii) मान्यताप्राप्त खेलकूद आयोजन;

(iii) संगीत समारोह, जलूस शोभा समारोह, पिजेंट, पुरस्कार समारोह, संगीत या किसी मान्यताप्राप्त खेलकूद समारोह से भिन्न कोई खेलकूद समारोह जिसमें ऐसे प्रवेश के लिए प्रतिफल पांच सौ रूपए प्रति व्यक्ति तक है ।"।

2. उक्त अधिसूचना में, परिभाषाओं से संबंधित पैरा 2 में, --

(क) खंड (भक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(भकक) "राष्ट्रीय उद्यान" का वही अर्थ होगा जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (21) में है;"

(ख) खंड (यकक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(यकख) "मान्यताप्राप्त खेलकूद समारोह" से कोई खेलकूद समारोह अभिप्रेत है, जो,--

(i) किसी मान्यताप्राप्त खेल निकाय द्वारा आयोजित किया गया है जहां भाग लेने वाले टीम या व्यष्टि किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ii) क्रम सं0 11 की प्रविष्टि के अधीन आते हैं ।"

(ग) खंड (यझ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थातः-

"(यझ) "बाघ आरक्षिती" का वही अर्थ होगा जो उसका वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ट के खंड (ङ) में है ;

(यञ) "व्यवसाय संघ" का वही अर्थ होगा जो उसका व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(यट) "वन्य जीव अभ्यरण्य " का वही अर्थ होगा जो उसका वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (26) में है ;

(यठ) "वन्य प्राणी उद्यान " का वही अर्थ होगा जो उसका वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (39) में है ।"

3. इस अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगा ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 467(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं0 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 598(अ) तारीख 20 अगस्त, 2014 द्वारा, अधिसूचना सं. 17/2014-सेवा कर, तारीख 20 अगस्त, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।